

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)  
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र0 400 / 13

संस्थित दि: 17 / 05 / 13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

जगनदास पिता सोनेदास, उम्र 46 साल, जाति पनिका,

निवासी टिंगीपुर थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) ..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक – 12 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 355 का आरोप है कि आरोपी दिनांक 25.06.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादिया फगनीबाई पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग फरियादिया को अनादरित करने के आशय से किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया फगनीबाई ने दिनांक 25.06.2013 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका तथा जगनदास का जवारा के समय झगड़ा हो गया था जिसके संबंध खैर माता के मंदिर के पास मीटींग रखी थी। मीटींग वह, जगनदास पनिका, देवसिंह, भूरेलाल, रामेश्वर, अर्जुनदास और गांव के लोग आये थे। उसने तथा उसके पति ने मीटींग में सबके सामने कहा कि जगनदास तुम बार-बार हमारे घर जान से मारने की धमकी देने क्यों आते हो तो जगनदास बोला कि मैं तुम्हें और मारुंगा और उसकी बेज्जइती करने के लिए हाथ पकड़ कर धक्का दे दिया। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 48 / 13 अन्तर्गत

धारा 354, 355 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 355 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 355 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी एवं फरियादिया फगनीबाई के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 355 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया रंजिशवश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 25.04.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा. 3) का कहना है कि फरियादी फगनीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी जगनदास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/13 धारा 354, 355 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध गई थी। उक्त अपराध की डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 25.04.2013 फरियादिया फगनीबाई की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादिया फगनीबाई एवं गवाह रामेश्वर, देवसिंह, अर्जुन, भूरेलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार

कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(08) अभियोजन साक्षी फगनीबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 25.04.2013 की ग्राम टिंगीपुर थाना मलाजखण्ड की है। आरोपी से उसका पारिवारिक विवाद हो गया था। आरोपी उसे तथा उसके पति को माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गलिया दे रहा था जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी से उसकों धक्का मारकर गिरा दिया। आरोपी उसे तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी और उसका हाथ पकड़कर उसकी बेज्जती की थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। पुलिस ने उसका पुलाहिजा करवाया था और घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ पकड़ कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(09) अभियोजन साक्षी रामेश्वर (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपी से उसका पारिवारिक विवाद हो गया था। आरोपी उसे तथा उसकी पत्नी को गन्दी-गन्दी गलिया दे रहा था। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी पत्नी को धक्का मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई। आरोपी ने उसे तथा उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादिया फगनीबाई ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उसे झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों

तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा. 3) का कहना है कि फरियादी फगनीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी जगनदास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/13 धारा 354, 355 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। उक्त अपराध की डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 25.04.2013 फरियादिया फगनीबाई की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादिया फगनीबाई एवं गवाह रामेश्वर, देवसिंह, अर्जुन, भूरेलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(13) किन्तु अभियोजन साक्षी फगनीबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 25.04.2013 की ग्राम टिंगीपुर थाना मलाजखण्ड की है। आरोपी से उसका पारिवारिक विवाद हो गया था। आरोपी उसे तथा उसके पति को माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गलाया दे रहा था जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी से उसकों धक्का मारकर गिरा दिया। आरोपी उसे तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी और उसका हाथ पकड़कर उसकी बेज्जती की थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। पुलिस ने उसका पुलाहिजा करवाया था और घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ पकड़ कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुलिस को बुरी नियत से हाथ पकड़कर लज्जा भंग करने वाली बात नहीं बतायी थी। उसने प्रथम



सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं देखी थी और पुलिस के कहने पर उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(14) अभियोजन साक्षी रामेश्वर (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपी से उसका पारिवारिक विवाद हो गया था। आरोपी उसे तथा उसकी पत्नी को गन्दी-गन्दी गालिया दे रहा था। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी पत्नी को धक्का मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई। आरोपी ने उसे तथा उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसकी पत्नी फगनीबाई ने पुलिस को आरोपी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़कर लज्जा भंग करने के संबंध में पुलिस को कथन नहीं देना व्यक्त किया।

(15) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा. 3) के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी फगनीबाई (अ.सा. 1) एवं रामेश्वर (अ.सा. 2) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक 25.04.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी जगनदास ने दिनांक 25.04.2013 को सुबह 08:00 बजे ग्राम खेरमाता के पास मैदान

टिंगीपुर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया फगनीबाई, जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ पकड़कर धक्का देकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी जगनदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)